केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/20/00051
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/P/20/00139

C. I. C. /के० सू० आ०
RECEIVED
02 JUL 2020
D. No.......
Initials.......

अपीलकर्ता : श्री रौशन लाल नाविक
कमल पैलेस, घंटाघर चौक
बहराईच, उत्तर प्रदेश - 271801.

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	15.02.2020
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	27.02.2020
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	28.02.2020
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. सी. शर्मा
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	19.06.2020
निर्णय की तारीख	01.07.2020

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 15.02.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी:-

"संलग्न नोटिस/सुनवाई पत्र फाइल सं. CIC/MOEAF/A/2018/132515 दिनांक 11.09.2019 जिसकी सुनवाई NIC के जरिये दिनांक 26.09.2019 को विडियो कांफ्रेंसिंग से नई दिल्ली - बहराइच हुई थी उक्त सुनवाई के संबंध में उक्त केस की संपूर्ण सुनवाई की विडियो रिकार्डिंग सी.डी./ फ्लापी के रूप में उपलब्ध करायी जाये" ।

प्रदान की गई सूचना

2. श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 28.02.2020 के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

"You have asked for providing video recording in respect of case No. CIC/MOEAF/A/2018/132515. In this context, it is to intimate the Commission is not maintaining the video recording of the cases heard through VC. Therefore, we are unable to provide the sought for information".

प्रथम अपील का आधार

3. अपीलकर्ता ने "वांछित सूचनाएं प्राप्त न होना" को प्रथम अपील का आधार बनाया है तथा अनुरोध किया है कि "वांछित सूचनाएं दिलायी जायें" ।

—2/-

:2:

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 15.02.2020 का उक्त आर.टी.आई. आवेदन जो कि दिनांक 27.02.2020 को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ एवं दिनांक 28.02.2020 को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री एस. सी. शर्मा द्वारा आर.टी.आई. आवेदन का प्रतिउत्तर प्रेषित कर दिया गया है । केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री एस. सी. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी केवल लोक प्राधिकरण (Public Authority) के दस्तावेजों में उपलब्ध सूचनाएं ही प्रदान कर सकता है, वह किसी प्रकार की सूचना निर्मित नहीं कर सकता तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु श्री एस. सी. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुन: संलग्न है ।

हालांकि, अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन हिंदी भाषा में दाखिल किया था, परन्तु जवाब अंग्रेजी भाषा में दिया गया है । अत: केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में हिंदी भाषा में प्राप्त होने वाले आर.टी.आई. आवेदनों का प्रतिउत्तर भी हिंदी भाषा में ही दिया जाए ।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख : 01 जुलाई, 2020

मीना शर्मा
01/7/2020

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

संलग्नक - श्री एस. सी. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति ।

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to IC (NG), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

2/7/20

2/7/20